अर्द्धशा0पत्रसंख्या- 1936 /43-2-2006

नवीन चन्द्र बाजपेई
आई. ए. एस.

फोन (0522) 2621599, 2238212 (का0)
(0522) 2239283 (फैक्स)
(0522) 2238760 (आ0)
उत्तर प्रदेश शासन
श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन
लखनऊ – 226001
E-mail : csup@up.nic.in

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2006

प्रिय महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2005 को सम्पन्न हुई बैठक में आवश्यक विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्देश दिये गये थे चूँकि कतिपय विभागों द्वारा सक्षम स्तर के जन सूचना अधिकारी नामित नहीं किये गये हैं, अतः सम्बन्धित विभाग उक्त बिन्दु पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही कर ले। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये थे कि अधिनियम की धारा- 4 (1) (बी) के अन्तर्गत समस्त अपेक्षित कार्यवाही दो सप्ताह के अन्दर विभागों द्वारा सम्पन्न करा ली जाये।

उपर्युक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि पर्याप्त निर्देशों के बावजूद भी विभिन्न विभागों के अनु सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को बतौर जन सूचना अधिकारी यथावत रखते हुए अपेक्षित संशोधन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में एतद्द्वारा समस्त विभागों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 5 (1) के अन्तर्गत नामित जन सूचना अधिकारी विशेष सचिव स्तर से निम्न तथा धारा 19 (1) में नामित अपीलीय अधिकारी सचिव स्तर से निम्न स्तर का अधिकारी नहीं होना चाहिए। विभागाध्यक्ष के कार्यालय में विभागाध्यक्ष को जन सूचना अधिकारी नामित किया जाय तथा अन्य फील्ड स्तरीय कार्यालयों में उक्तानुसार ही कार्यालय प्रमुखों को जन सूचना अधिकारी नामित करने की कार्यवाही की जाये। प्रत्येक मामले में नियंत्रक अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाये।

शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचनाओं के अन्तर्गत एनआईसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक केवल 59 विभागों एवं 78 विभागाध्यक्षों/अन्य कार्यालयों द्वारा सूचना/विवरण एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है। उक्त 59 विभागों की सूचना में 14 विभागों की सूचना अपूर्ण है। इसी प्रकार 78 विभागाध्यक्ष/कार्यालयों में से 32 कार्यालयों की सूचना अपूर्ण है। कृपया यह सुनिश्चित

कर लें कि लोक प्राधिकरण के सम्वन्ध में धारा- 4 (1) (वी) की सूचना/विवरण प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग तथा एनआईसी, बापू भवन चतुर्थ तल को सी.डी. सहित हार्ड कॉपी में दो प्रतियों में दिनांक 30.11.2006 तक उपलब्ध करा दी जाये। उक्त सूचना इसलिए भी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस के अभाव में मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित एक रिट याचिका में प्रति शपथ पत्र दायर करने में विलम्ब हो रहा है।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि ''उत्तर प्रदेश शासन एवं उसके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकरणों में गत वर्ष में सूचना दिये जाने के सम्वन्ध में की गयी कार्यवाही में उदासीनता का रवैया अख्तियार करते हुए बिना समुचित कारणों के आवेदक को सूचना देने की मनाही की गयी अथवा आनाकानी करके विलम्ब किया गया है''। इस के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि आवेदकों के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय लेने से पूर्व जन सूचना अधिकारी पत्रावली पर उच्च अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करते हैं जबकि उन्हें स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। अधिनियम की मंशा यह है कि अधिकारियों को सूचना देने में यदि कोई विधिक वाधा नही है तो तत्काल समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध करा दी जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार अपने विभाग तथा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले समस्त लोक प्राधिकारियों को ऊपरि वर्णित बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु कड़े निर्देश निर्गत करते हुए उसकी प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग एवं उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को पृष्ठांकित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
16/XI/06

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, (नाम से),
विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश (नाम से),
मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (नाम से)।